

24/20 पत्रावली पेश हुई। वास्ते संशोधित शीफ्ट हेतु पत्रावली दिनांक - 30.04.2020 को पेश हो।

30/4 पी.ओ. साहब अवकाश / स्थानान्तरण / भ्रमण पर होने से दिनांक 30/4/20 को पेश हो।

07/20 पी.ओ. साहब अवकाश / स्थानान्तरण / भ्रमण पर होने से दिनांक 07/09/20 को पेश हो।

02/20 अधिवक्ताओं ने कन्वर्नेंस हेतु वास्ते दिनांक 28/10/20 को पेश हो।

28/20 पी.ओ. साहब अवकाश / स्थानान्तरण / भ्रमण पर होने से दिनांक 24/12/20 को पेश हो।

पी.ओ. साहब अवकाश / स्थानान्तरण / भ्रमण पर होने से दिनांक 26/02/20 को पेश हो।

26/21 अधिवक्ताओं ने कन्वर्नेंस हेतु वास्ते दिनांक 05/03/21 को पेश हो।

05/21 पत्रावली पेश हुई। उमयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। मूल वाद बिटों हो जाने के कारण प्रा.पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती हैं। पत्रावली निर्णित मुद्दा लेकर दफ्तर दाखिल हो। पुनश्च: बकीलवादी ने बहस कर निवेदन किया की गरीब उक्त वाद को तकनीकी कारणों से आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अतः नवीन वाद प्रस्तुत करने की अनुमति के साथ वाद-वादी बिटों करने की अनुमति प्रदान करें।

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही भय इनिशियलज्ज जत

पत्रावली-एवं बकील बादी की बहस पर मजल किया।
बकील बादी की बहस स्वीकार की जाकर मजल
बाद प्रस्तुत करने की अनुमति के साथ बाद बादी
बिद्वी किया जाता है। पत्रावली निर्णित मुमर
होकर दृष्टर दखिल हो एवं नियमानुसार नम्बर
से कम हो।

उप खण्ड अधिकारी
पीपल (टॉक)